



इतुइवेन कुटुम्ब न्यायालय के

कुटुम्ब न्यायालय कानून, 1984

कुटुम्ब न्यायालय कानून, 1984-14 सितम्बर 1984 रे कानून बइ जना। निया मेन जदा चि कुटुम्ब न्यायालय परिवार रेया मामला को सोलाह, बपाइ ओड़ो, आपसी समअ बुक ते फैसलाया।

निया मामला को ओकोआ चि कुटुम्ब न्यायालय रे हिजु: तना -

लतार रेया मामला को कुटुम्ब न्यायालय रे आणक तना -

1. अड़ादि-कुड़पि को रदी रेया मामला।
2. अड़ादि जनाते विपिनगा।
3. अड़ादि रेया तलाक।
4. अड़ादि रेया हक नामे मेन्ते।
5. अड़ादि रेया मनातिंग ओड़ो: अड़ादि रेया स्थिति।
6. कोड़ा-कुड़ी किना सम्पत्ति संबंधी मामला।
7. लालन-पालन संबंधी मामले, होना कस्टडी संबंधी मामले, गोद आगु रेया मामला।
8. कुटुम्ब न्यायालय रेया क्षेत्र अधिकार
 - अड़ादि ओड़ो: परिवार रेया मामला
 - लालन-पालन ओड़ो: जोतोन रेया मामले।

■ होना जोनोगाव ओड़ो: अभिभावक संबंधी मामला ।

■ हड़म-बुड़ी किना सम्पत्ति रे तय रेया मामला ।

9. कुटुम्ब न्यायालय सगाते अपनाओ तन होरा -

■ कुटुम्ब न्यायालय अपना होरा रेया तय अपन गे रिया जदा ।

■ कुटुम्ब न्यायालय गोवा को ब्याने के अन्दारसा कए ओल जदा ।

■ कुटुम्ब न्यायालय जेता ता: ते जान कागजात गे मंगावे दड़िया ओड़ो: जाँए गे ब्यान ने आणु दड़िया चाहे इना भारतीय साक्ष्य अधिनियम सा: ते कामनातियो ।

10. कुटुम्ब न्यायालय रेया भूमिका ओड़ो: दायित्व ।

■ निया कुटुम्ब न्यायालय दायित्व तना चि अ:ए मामला को रेया निपटारा आपसी समझ-बुझ ओड़ो: सुलाहनामा होरा ते रिकाए का ।

■ कुटुम्ब न्यायालया निया दायित्व मेना: चि, अ:ए विशेषज्ञ, डॉक्टर, काउन्सलर, ओड़ो परिवार रेया विशेषज्ञअ मदद आगुइ का ।

■ दिवानी प्रक्रिया संहिता आधार ते कुटुम्ब-न्यायालय सगाते अपना आदेश के लागु रिका जदा ।

11. बन्द कमरा बितर रे कार्रवाई -

■ जरूड़ लेकाते च पक्षकार कोआ सनड लेकाते कुटुम्ब न्यायालय बन्द कमरा रे कार्रवाई जदा

12. कुटुम्ब न्यायालया फैसला खिलाफ अपील

■ कुटुम्ब न्यायालया फैसला खिलाफ 30 दिन बितर रे माननीय उच्च न्यायालय रे अपील हाड़िओअ । सोला रेया आधार ते होवा कन फैसला खिलाफ रे अपील का होबा दड़ियोअ ।



प्रकाशन वर्ष : 2019

द्वारा प्रकाशित

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

न्याय सदन, ए.जी.कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651.2481520, फैक्स : 0651.2482392

ईमेल: jhalsaranchi@gmail.com, वेबसाइट : www.jhalsa.org, यह पाठ्य सामग्री झालसा के वेबसाइट "www.jhalsa.org" पर भी उपलब्ध है।

केवल जागरूकता के लिए